समाहरणालय, सरायकेला–खरसावाँ।

(विकास शाखा)

–:: अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना ::–

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत् सरायकेला–खरसावाँ जिले के राजनगर प्रखण्ड अन्तर्गत **"गौड़ सेवा संघ, राजनगर"** को माननीय राज्य सभा सांसद, श्री परिमल नाथवाणी द्वारा अनुशंसा के आलोक में BS-IV Tata Sumo Gold EX AC Ambulance with Oxygen Cylinder necessary fittings including Insurance & Registration आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक–16.01.2019 को अपराह्न 01:00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकृत नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबन्द निविदायें दिनांक–16.01.2019 को अपराह्न 4:00 बजे गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। उपस्कर/Ambulance की विशेषता, निविदा की शर्तो आदि की जानकारी जिला विकास शाखा, सरायकेला–खरसावाँ से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा सरायकेला–खरसावाँ जिला के Website- www.seraikela.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–

उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांकः– 691 /वि0,सरायकेला दिनांकः– 27.12.2018

प्रतिलिपिः–जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं उक्त निविदा को राज्यान्तर्गत/स्थानीय सामाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशन हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपिः–वाणिज्य कर उपायुक्त, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक, लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ/ नजारत उप समाहर्त्ता, सरायकेला–खरसावाँ /जिला लेखा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ/ वाणिज्य कर उपायुक्त, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर समाहर्त्ता, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उप विकास आयुक्त, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री परिमल नाथवाणी, माननीय राज्य सभा सांसद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

27/12/18

उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावाँ।

ज्ञापांक – 16 /वि0, दिनांक · 02-01-2019

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0 NIC सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2/1/19

अपर उपायुक्त
सरायकेला–खरसावाँ

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत Ambulance आपूर्ति हेतु निविदा की शर्ते।

1. सभी निविदाएँ द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelops System) के अनुसार डाली जायगी।
2. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "तकनीकी बीड" लिखकर उसमें माँगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (जमानत राशि का ड्राफ्ट) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उसपर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
3. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "वित्तीय बीड" अंकित करेंगे उस लिफाफे में उपस्कर/ Ambulance का दर अंकित करेंगे और उसे लिफाफा में डालकर मुहरबंद करेंगे। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
4. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोंनों मुहरबंद लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को बंद करेंगे और उस पर साफ–साफ लिखेंगे "Ambulance हेतु निविदा" लिफाफे पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ (समाहरणालय, सरायकेला–खरसावाँ) के नाम से मुहरबंद लिफाफा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भेजेंगे/जमा करेंगे।
5. पहले तकनीकी बीड खोली जायगी और निविदादताओं को उपस्थिति में ही उनका तकनीकी मुल्यांकन किया जएगा, जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा उन्हीं का वित्तीय बीड खोला जाएगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. निविदा के साथ 25,000.00/- (पच्चीस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट जमानत की राशि के रूप में जमा करना होगा, जो उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के पदनाम से A/C Payee होगा।
2. जी0एस0टी0 न0, तीन वर्षों का I.T.R (Income Tax Return) एवं पैन न0 की छायाप्रति देना होगा।
3. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ–पत्र देना होगा।
4. आपूर्तिकर्त्ता को संबंधित उपस्कर/ Ambulance की आपूर्ति करने का प्राधिकार पत्र जमा करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते :–

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जानेवाली उपस्कर/ Ambulance की दर एवं सभी करों सहित मूल्य अंकित करेंगे।

(ग) सामान्य शर्ते :–

1. जिनकी निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर उपस्कर/ Ambulance की आपूर्ति करनी होगी। आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं अन्य अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी। साथ ही परिवहन आदि में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
2. अग्रिम देने की बाध्यता नहीं होगी तथा आपूर्तिकर्त्ता को उपस्कर/ Ambulance की आपूर्ति के पश्चात् राशि का भुगतान किया जायेगा।
3. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
4. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र सरायकेला–खरसावॉ होगा।

उपायुक्त,,
सरायकेला–खरसावॉ।